न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी. एक्ट) अमरोहा।

एस.टी. सं.–08/2016

राज्य बनाम शीशपाल आदि।

<u>24.03.2017</u>– प्राथी तेजपाल की ओर से वारंट निरस्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह तबियत खराब होने के कारण न्यायालय नहीं आ सका, जिस कारण उसके विरूद्ध गैर जमानती वारंट जारी हो अतः उनके वारंट निरस्त किये जाये। समर्थन में शपथ पत्र दिया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थना पत्र में किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त का वारंट इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि वह 50,000/रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र दाखिल करेगा तथा इस आशय का लिखित वचन पत्र देगा कि वह मुकदमें के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करेगा तथा न्यायालय में प्रत्येक तारीख पर उपस्थित रहेगा।

अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष
न्यायाधीश(एस.सी./एस.टी. एक्ट)
अमरोहा।
24.03.2017